विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित/नियंत्रित की जाती है। सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये सांविधिक लेखापरीक्षक करते है। नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों द्वारा नियंत्रित की जाती है। 31 मार्च 2014 को मध्यप्रदेश राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के 58 कार्यशील उपक्रम (55 कम्पनियाँ तथा 3 सांविधिक निगम) और 9 अकार्यशील उपक्रम (सभी कम्पनियाँ) थे, जिनमें 62420 कर्मचारी कार्यरत थे।

(कण्डिकाऐं 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 एवं 1.6)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2014 को सार्वजनिक क्षेत्र के 67 उपक्रमों में निवेश (पूंजी तथा दीर्घकालीन ऋण) ₹ 54206.15 करोड़ रूपये था। इसमें 2008–09 से ₹ 17447.93 करोड़ रूपये में 210.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्युत क्षेत्र में 2013–14 में कुल निवेश की 93.45 प्रतिशत के लगभग लेखांकित की गई। सरकार ने 2013–14 के दौरान समता पूंजी, ऋण तथा अनुदान/आर्थिक सहायता के रूप में ₹ 14613.51 करोड़ रूपये का योगदान दिया।

(कण्डिकाऐं 1.7, 1.8, 1.9 एवं 1.10)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

वर्ष 2013–14 के दौरान अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 58 कार्यशील उपक्रमों में से, सार्वजनिक क्षेत्र के 27 उपक्रमों ने ₹ 349.95 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 6 उपक्रमों मे कोई लाभ हानि नही और सार्वजनिक क्षेत्र के 20 उपक्रमों ने 30 सितम्बर 2014 तक उपलब्ध अंतिम लेखाओं के अनुसार ₹ 6216.29 करोड़ की हानि उठायी थी। पाँच कम्पनियों ने अपने प्रथम लेखे नहीं दिये थे। हानि में प्रमुख रूप से मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 2113.02 करोड), मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1887.15 करोड), मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1810.95 करोड) तथा मध्यप्रदेश पावर जनरेंटिग कम्पनी लिमिटेड (₹ 385.75 करोड) का योगदान था।

(कण्डिका 1.16)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन यह दर्शाता है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 133.57 करोड़ रूपये की नियंत्रणीय हानियाँ तथा ₹ 51.66 करोड़ रूपये के निष्फल निवेश हुए।

(कण्डिका 1.17)

लेखाओं का बकाया अंतिमीकरण

सितम्बर 2014 तक 32 कार्यशील उपक्रमों के 84 लेखे एक से दस वर्षो की अवधि के लिए बकाया थे। कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार बकाया लेखों को पूर्ण करना आवश्यक है। नौ अकार्यशील उपक्रमों में से सात उपक्रम परिसमापन के अधीन है। बाकि दो अकार्यशील उपक्रमों के लेखे दो से छह वर्षो की अवधि के लिए बकाया हैं।

(कण्डिकाएं 1.19, 1.20 एंव 1.21)

लेखाओं पर टिप्पणी

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता हैं। कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 के दौरान अन्तिम रूप दिये गये समस्त 47 लेखाओं को सांविधिक लेखापरीक्षा से अहर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त हुये थे। जिसमें वर्ष के दौरान लेखाकरण मानकों का पालन न करने के 11 लेखों में 46 उदाहरण थे। कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों में उनके कमजोर क्षेत्रों की ओर भी इंगित किया गया था।

(कण्डिकाएं 1.28, 1.29 एंव 1.31)

2.1 मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड भोपाल, इन्दौर तथा जबलपुर में आवंटन एवं आधारभूत संरचना के विकास की गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

राज्य में उद्योगों व औद्योगिकरण को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित और विकसित करने के मुख्य उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार ने औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड (औ.के.वि.नि.), भोपाल, इन्दौर और जबलपुर का गठन क्रमशः नवम्बर 1987, नवम्बर 1981 व नवम्बर 1981 में मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड/मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कोर्पोरेशन लिमिटेड, की सहायक कम्पनी के रूप में किया । स्थापना के बाद से 31 मार्च 2014 तक, विकास करने और उद्योगों को आवंटित करने के लिए औ.के.वि.नि. द्वारा 19032.60 एकड़ भूमि (भोपाल – 6472.59 एकड़, इन्दौर–10230.49 एकड़ और जबलपुर–2329.52 एकड़) का अधिग्रहण किया गया। 2009–14 के दौरान, इन औ.के.वि.नि. द्वारा आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए ₹ 242.33 करोड़ व्यय किये और 876 आवंटियों को 1750.31 एकड़ तक भूमि आवंटित की और ₹ 414.82 करोड़ वसूल किये ।

सात में से तीन औ.के.वि.नि. भोपाल, इन्दौर और जबलपुर में आवंटन और बुनियादी ढांचे के विकास की गतिविधियों पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की नीचे चर्चा की जा रही है:

औ.के.वि.नि. भोपाल

- अधिग्रहित भूमि का विकास न कर पाने के कारण, औ.के.वि.नि. में आवंटन की प्रक्रिया धीमी हो गयी।

(कंडिका 2.1.7)

- औ.के.वि.नि. द्वारा भूमि/प्लाट के अधिग्रहण, विकास और आवंटन के लिए परिप्रेक्ष्य/कार्पोरेट/वार्षिक योजना तैयार नहीं कि गयी ।

(कंडिका 2.1.8)

• मण्डीदीप में लॉजिस्टक हब के निर्माण के लिए औ.के.वि.नि. ने ₹ 9.74 करोड़ मूल्य की 18.50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण सौंप दिया और रियायत प्राप्त करने वाले द्वारा वित्तीय संवरण प्राप्त न करने व समझौते की शर्तो का उल्लंघन करने के बावजूद अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया ।

(कंडिका 2.1.9)

• औ.के.वि.नि. ने न्यूनतम अचल पूँजी के निवेश और समय पर मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना करने में विफलता के लिए चार आवंटियों से ₹ 1.22 करोड़ की ब्याज के साथ छूट की वसूली नहीं की ।

(कंडिका 2.1.10)

• आवंटी के शेयरहोल्डिंग प्रारूप/संविधान में परिवर्तन के बावजूद औ.के.वि.नि. ने ₹ 4.56 करोड़ के स्थानांतरण शुल्क और विकास शुल्क की वसूली नहीं की ।

(कंडिका 2.1.11)

• औ.के.वि.नि. द्वारा एक आंवटी को भूमि के आवंटन के लिये कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से कम दर आरोपित करने के कारण ₹ 20.91 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 2.1.15)

औ.के.वि.नि. इन्दौर

• क्रिस्टल आई.टी.पार्क, इन्दौर के संबंध में दिसम्बर 2004 में सिविल कार्यों को पूर्ण करने के लिए अनुमानित व्यय ₹ 55.57 करोड़ के विरूद्ध, कार्य ₹ 118.47 करोड़ की लागत से मार्च, 2014 में पूर्ण हुआ ।

(कंडिका 2.1.19)

• औ.के.वि.नि. द्वारा मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए लीज प्रीमियम में छूट देने की छूट की नीति के विचलन में 21 आवंटियों से प्राइम लोकेशन प्लाट पर एकत्रित अतिरिक्त भूमि प्रिमियम पर ₹ 2.92 करोड़ की गलत तरीके से छूट की अनुमति दी गई ।

(कंडिका 2.1.21)

• औ.के.वि.नि. ने न्यूनतम अचल पूँजी के निवेश और समय पर मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना करने में विफलता के लिए 11 आवंटियों से ₹ 10.39 करोड़ की ब्याज के साथ छूट की वसूली नहीं की ।

(कंडिका 2.1.22)

• औ.के.वि.नि. विकास शुल्क को लगाने के लिए आवंटन नियम/निर्णय को लागू करने में देरी के कारण ₹ 6.92 करोड़ की हानि ।

(कंडिका 2.1.26)

औ.के.वि.नि. जबलपुर

- औ.के.वि.नि. द्वारा योजना की प्रतिकूल स्थिरता को जानने के बावजूद और निजी प्रमोटरों/सह–निर्माताओं की पहचान लिए बिना विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड़.) हरगढ़ के विकास में संभावना प्रतिवेदन/लागत लाभ विश्लेषण को तैयार किए बिना ₹ 5.23 करोड़ का खर्च किया गया ।

(कंडिका 2.1.30)

- 15 आवंटियों पर अतिरिक्त प्रीमियम आरोपित न करने और आठ स्थानांतरणियों से विकास शुल्क के व्यय के कारण औ.के.वि.नि. जो ₹ 45.48 लाख की राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिकाएं 2.1.33 और 2.1.34)

2.2 मध्यप्रदेश की तीन विद्युत वितरण कम्पनियों में पुनर्गठित, त्वरित विद्युत विकास व सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार योजना (आर.ए.पी.डी.आर.पी.) सकल तकनीकि और वाणिज्यिक (ए.टी. एण्ड सी.) हानियों को 15 प्रतिशत के स्तर तक कम करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य के तीन विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) में लागू किया गया था । 2009–10 से 2013–14 तक की योजना लागू करने की अवधि को शामिल करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा मई से जुलाई 2014 के दौरान की गई । योजना क्रियान्वयन के दौरान तीनों डिस्कॉम में पाये गये लेखा परीक्षा निष्कर्ष निम्न थे :–

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (पूर्व डिस्कॉम)

डिस्कॉम द्वारा निर्धारित तीन वर्ष की अवधि में योजना की एक परियोजना भाग–अ पूर्ण नहीं की गई, इसके कारण बढ़ाये गये समय के ब्याज को अनुदान में परिवर्तित करके ₹ 49.61 करोड़ के अतिरिक्त भार को अवशोषित करके भारत सरकार को योजना की अवधि बढ़ानी पडी ।

(कंडिका 2.2.8)

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा परियोजना के भाग–अ को अपर्याप्त तरीके के लागू करने के कारण, ऊर्जा लेखा और लेखापरीक्षा में मानवीय हस्तक्षेप समाप्त नहीं हुआ जैसा वांछित था।

(कंडिकाएं 2.2.10, 2.2.11 और 2.2.14)

डिस्कॉम ₹ 77 करोड़ मूल्य के पूर्ण फीडरों के निष्पादन की जांच नहीं कर सका और संचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा सके। यह भाग–अ एप्लीकेशन के अनुपयोग द्वारा फीडर/शहर स्तर पर विश्वसनीय ए.टी. एण्ड सी. हानियों का प्रदर्शन न होने के कारण हुआ ।

(कंडिका 2.2.15)

डिस्कॉम द्वारा पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण (स्काड़ा) परियोजना एक पहले चूककर्ता टर्नकी कांट्रेक्टर (टी.के.सी.) को दे दिया था परिणामस्वरूप कार्य के निष्पादन में कमी रही तथा जबलपुर शहर में वितरण प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत केन्द्रीकृत नियंत्रण का उद्देश्य पूर्ण नहीं किया जा सका था ।

(कंडिका 2.2.18)

डिस्कॉम द्वारा भाग–ब टर्नकी अनुबंध कराने में देरी के परिणामस्वरूप, योजना अवधि में पूरा नहीं किया जा सका और योजना के तहत लाभ प्राप्त करने में विलम्ब हुआ।

(कंडिका 2.2.21)

डिस्कॉम ने योजना के तहत प्राप्त वित्त के उपयोग में वित्तीय विवेक का पालन नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप टीकेसी टर्नकी अनुबंधकर्ता को ₹ 11.89 करोड़ का अनुचित लाभ लामबंदी अग्रिम का अतिरिक्त भुगतान, असमायोजित अग्रिम पर ब्याज चार्ज न करना तथा मूल्य वृद्धि का अधिक भुगतान के रूप में प्रदान किया गया ।

(कंडिका 2.2.22)

डिस्कॉम द्वारा क्रय नीति से विचलन किया गया तथा उच्चदर पर चूंककर्ता टीकेसी को उसी शहर का काम दिया गया और उसे ₹ 6.08 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।

(कंडिका 2.2.23)

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (मध्य डिस्कॉम)

डिस्कॉम द्वारा भाग–अ के कार्यो को निर्धारित अवधि तीन वर्ष में पूर्ण नहीं किया, इस कारण भारत सरकार को योजना की अवधि बढ़ाना पड़ी तथा ₹ 24.10 करोड़ की ब्याज राशि को अनुदान में परिवर्तित करना पड़ा।

(कंडिका 2.2.26)

डिस्कॉम द्वारा पूर्ण किये गये फीडरों के ₹ 14.29 करोड़ निष्पादन की जांच को प्राप्त नहीं किया गया और सकल तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों का विश्वसनीय प्रदर्शन भाग–अ एप्लीकेशन द्वारा फीडर तथा शहर स्तर पर नहीं किया गया।

(कंडिका 2.2.31)

परियोजना के टीकेसी द्वारा स्काडा परियोजना के कमजोर क्रियान्वयन असमर्थ निष्पादन के कारण भोपाल एवं ग्वालियर में परियोजना में परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका ।

(कंडिका 2.2.33)

डिस्कॉम ने योजना के तहत प्राप्त वित्त के उपयोग में वित्तीय विवेक का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप टीकेसी को ₹ 16.16 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।

(कंडिका 2.2.37)

डिस्कॉम ने चूककर्ता टीकेसी से छोड़े गये कार्यो की राशि ₹ 10.55 करोड़ की वसूली जोखिम तथा लागत आधार पर नहीं की।

(कंडिका 2.2.38)

डिस्कॉम ने ₹ 48.10 करोड़ के कार्य विभागीय रूप से, पावर फाईनेंस निगम (पी.एफ.सी.) से स्वीकृति प्राप्त किए बिना सम्पन्न किये तथा राशि अद्यतन पावर फाईनेंस निगम से दावा करना थी।

(कंडिका 2.2.39)

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (पश्चिम डिस्काम)

डिस्कॉम द्वारा भाग–अ के कार्यो को निर्धारित अवधि तीन वर्ष में पूर्ण नहीं किया, इस कारण भारत सरकार को योजना की अवधि बढ़ानी पड़ी तथा ₹ 9.94 करोड़ की ब्याज राशि को अनुदान में परिवर्तित कर भार वहन करना पड़ा।

(कंडिका 2.2.44)

डिस्कॉम द्वारा पूर्ण किये गये फीडरों के मूल्य ₹ 55.36 करोड़ के निष्पादन को प्राप्त नहीं किया गया और सकल तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानि का विश्वसनीय प्रदर्शन भाग–अ एप्लीकेशन द्वारा फीडर तथा शहर स्तर पर नहीं किया गया।

(कंडिका 2.2.49)

टीकेसी द्वारा इन्दौर तथा उज्जैन शहरों में योजना का क्रियान्वयन कमजोर होने के कारण, स्काडा परियोजना के वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सके।

(कंडिका 2.2.51)

डिस्कॉम द्वारा योजना में प्राप्त निधियों के उपयोग में वित्तीय औचित्य का पालन नहीं किया। इस कारण टीकेसी को ₹ 6.54 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

(कंडिका 2.2.54)

डिस्कॉम द्वारा मांग से अधिक वितरण ट्रांसफार्मर क्रय किये गये तथा ₹ 8.93 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया गया।

(कंडिका 2.2.55)

डिस्कॉम द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों, को संचालन समिति द्वारा निर्धारित सीमा से परे जाकर परिवर्तन किया तथा ₹ 20.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। यह राशि अभी भी पीएफसी से दावा की जानी थी।

(कंडिका 2.2.56)

2.3 सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र, सारणी, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड में पर्यावरण मापदण्डों के पालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र (एस.टी.पी.एस.) सारणी, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड में वर्ष 2011–12 से 2013–14 के मध्य पर्यावरण मापदण्डों के पालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2014 से जून 2014 के मध्य सम्पन्न की गई । निष्पादन समीक्षा, कम्पनी द्वारा वैद्यानिक आवश्यकताओं के अनुपालनार्थ लगाई गई वायु एवं जल प्रदूषण निरोधी व्यवस्था की उपलब्धता एवं पर्याप्तता की जांच हेतु सम्पादित की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निम्न हैः–

- वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान एस.टी.पी.एस., मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एम.पी.ई.आर.सी.) द्वारा निर्धारित स्टेशन हीट रेट (एस.एच.आर.) लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। प्रत्येक इकाई का एस.एच.आर., एम.पी.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक था । चूँकी, वास्तविक एस.एच.आर. निर्धारित मानकों से अधिक था, कोयले एवं तेल की खपत भी कम्पनी द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक रही जिसके फलस्वरूप 10.33 लाख एम.टी. अतिरिक्त राख एवं ग्रीनहाउस गैसों के निस्सारण का प्रभाव वायु एवं जल प्रदूषण पर पड़ा ।

(कंडिका 2.3.6)

- सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एस.पी.एम.) का स्तर पर्यावरण (प्रोटेक्शन) नियम, 1986 के तहत निर्धारित 150 मि.ग्रा./ एनएम^3 से अधिक रहा । एस.टी.पी.एस. ने एस.पी.एम. स्तर को नियंत्रित करने हेतु न ही इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसीपिटेटरो का उन्नयन किया और न ही नियमित रूप से अमोनिया फ्लू कंडिशिनिंग सिस्टम लागू किया ।

(कंडिकाएं 2.3.8 तथा 2.3.9)

- औसत 20 लाख एम.टी. राख का उत्पादन करने वाले एस.टी.पी.एस. ने ड्राय फ्लाय एश कलेक्शन सिस्टम की स्थापना नहीं की, जैसा कि मार्च 2012 से मार्च 2015 के बीच प्रस्तावित था ।

(कंडिका 2.3.11)

- निस्तारित जल में (कुल निलंबित ठोस) टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स (टी.एस.एस.) की मात्रा 100 मि.ग्रा. प्रति लीटर के मानक के विरूद्ध अधिक रही, यह राखड़ बाँध में 106 से 125 मि.ग्रा. पाथा नाला में 108 से 1707 मि.ग्रा. पायी गई। राखड़ बाँध ऍफ्लूएन्टस के 100 प्रतिशत उपचार/पुर्नचक्रीकरण के लक्ष्य के विरूद्ध एस.टी.पी.एस. मात्र 19, 24 एवं 23 प्रतिशत क्रमशः ही पुर्नचक्रित कर सका ।

(कंडिकाएं 2.3.12 एवं 2.3.13)

- एस.टी.पी.एस. ने विधि (एक्ट) में दर्शायी गई 90 दिन की समय सीमा में उपभोग किये तेल एवं रेज़िन (हानिकारक अपशिष्ट) का निपटान नहीं किया, जिसके भण्डारण के फलस्वरूप पर्यावरण पर खतरा बना रहा ।

(कंडिका 2.3.15)

लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेन देन लेखापरीक्षा टिप्पणियां मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में कमियां और संबंधित गम्भीर वित्तीय जटिलता दर्शाती है।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार नीचे दिया गया है : –

- ***मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम उज्जैन लिमिटेड*** द्वारा नियत समय पर वार्षिक आयकर विवरणी जमा नहीं करने और अग्रिम कर के प्रेषण में कमी के परिणामस्वरूप ₹ 26.77 लाख का परिहार्य भुगतान ।

(कंडिका 3.1)

- ***स्पेशल इकॉनोमिक जोन लिमिटेड (इन्दौर)*** द्वारा उपभोक्ताओं को वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान सुरक्षा जमा पर ब्याज नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरूप दण्डात्मक ब्याज के रूप में ₹ 47.17 लाख का परिहार्य व्यय हुआ ।

(कंडिका 3.2)

- परिधान पार्क की धीमी गति को ध्यान में रखते हुए, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने सितम्बर 2011 से योजना को बंद करने का निश्चय किया । इस प्रकार ***स्पेशल इकॉनोमिक जोन लिमिटेड (इन्दौर)*** द्वारा अत्याधिक देरी और परियोजना को समय पर पूर्ण करने के लिये प्रभावी निगरानी की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 32.48 करोड़ का निष्फल व्यय ।

(कंडिका 3.3)

- लघु अवधि व दीर्घ अवधि में प्राप्त निधियों व अपनी आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए उचित निधि प्रबंधन तंत्र की कमी के परिणामस्वरूप ***मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड*** को ₹ 35.28 लाख ब्याज की हानि ।

(कंडिका 3.4)

- संचालन और संधारण शुल्क पर निदेशक मण्डल के निर्णय का पालन न करने के चार आवंटियों से ₹ 2.84 करोड़ वसूल करने में विफलता के फलस्वरूप ***क्रिस्टल आई. टी. पार्क इन्दौर*** को राजस्व की हानि ।

(कंडिका 3.5)

- ***मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड*** द्वारा बिना आवश्यकता के सामग्री क्रय करने के परिणामस्वरूप ₹ 5.02 करोड़ का निष्फल व्यय।

(कंडिका 3.6)

- ***मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड*** को गलत टैरिफ दर के प्रयोग करने के परिणामस्वरूप ₹ 20.94 लाख राजस्व की हानि ।

(कंडिका 3.7)

- उन उपभोक्ताओं के संबंध में जिनकी अनुबंधित मांग टैरिफ शेड्यूल में दर्शायी मांग से भिन्न थी, पर टैरिफ शेड्यूल 2011–12 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम अनुबंधित मांग को लागू न किये जाने के कारण, ***मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड*** द्वारा ₹ 6.61 करोड़ की कम बिलिंग ।

(कंडिका 3.8)